अन्वान सरकार बनाम गणपतराम
प्रकरण सं. 249/2023

Continuation Note Sheet

16-1-24 वकील श्री ऋषिपाल जोशी द्वारा अप्रार्थी जय कुमारअप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा एवम् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा मौका पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है। प्रकरण में वहस आज ही सुनी जावे। पैराकार राज उपस्थि। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. सुने जाने बाबत पैरोकार राज द्वारा सहमति जाहिर की गई। वहस प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. सुनी जा चुकी है। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किए कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस तरह से दर्ज किये गये हैं अस्वीकार है। चक 6 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 93/83 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 9, 12, 18, 19, 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी एवं अन्य के नाम से राजस्व रिकार्ड में हिस्सा अनुसार दर्ज है। चक 6 ई छोटी के संयुक्त खाता संख्या 93/83 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 12 की 0.253 है. भूमि का अकृषि कार्य करना अस्वीकार है। सम्वत् 2076 की खसरा गिरदावरी में मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 12 में चारा का बिजान्त दर्ज है जिससे भी उक्त कथन गलत साबित होते है। उक्त कृषि भूमि के सिंचन सकर्म को न्यास द्वारा एवं अन्य लोगो द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसके कारण काश्त किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त भूमि का मन उतरदाता खातेदार हिस्सेदार है और भूमि का उपयोग करने का हकदार है। उक्त भूमि नगर विकास न्यास के ले आउट प्लान में आती है इसलिए भूमि को सपरिवर्तन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त कृषि भूमि के सिंचन सकर्म को न्यास द्वारा एवं अन्य लोगो द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है जिसके कारण काश्त किया जाना संम्भव नहीं है। भूमि का अकृषि प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट अपर्याप्त है जिसमें मौका की स्थिती के बारे में कोई कथन अंकित नहीं है और ना ही निमार्ण कार्य के बारे में कोई कथन किया है ऐसी स्थिती में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन– राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावा में वाद कारण अंकित नहीं किया गया है राज्य सरकार को वाद कारण कब प्राप्त हुआ यह कहीं भी अंकित नहीं है, इसलिए वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता से हिट होता है तथा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। दावा दो प्रतियो में पेश नहीं किया गया है इसलिए आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार काबिले निरस्ती है। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 6 छोटी के संयुक्त खाता संख्या 93/83 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 12 की 0.253 है. भूमि के सम्बन्ध में पेश वाद पत्र खारिज फरमाया जावे। राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी द्वारा लम्बे समय से भूमि रूपान्तरण नहीं करवाया है। प्रार्थी अगर भूमि संपरिवर्तन करवा कर अकृषि कार्य करे तो प्रकरण खारिज करने में स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है। जवाब बहस में वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किए गये कि अप्रार्थी किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं करवा रहा है यदि अप्रार्थी अकृषि कार्य करेगा तो पूर्व में न्यास द्वारा भूमि को संपरिवर्तन करवाने के पश्चात् ही अकृषि कार्य करेगा।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी 6 [illegible] है. व जिला श्रीगंगानगर सम्वत् 2076 में मुरबा नम्बर 25 के किला नम्बर [illegible] में [illegible] की फसल का होना दर्शाया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट [illegible] द्वारा यह अंकन नहीं किया गया है कि मौका पर अप्रार्थी [illegible] प्रकार का कोई निर्माण किया जा रहा है अथवा निर्माण किया गया है अथवा अप्रार्थी द्वारा किस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kumari
Date: 2024.04.27 10:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान सरकार बनाम गोपतराम
प्रकरण सं. 249/23

Continuation Note Sheet

प्रकार से अकृषि कार्य किया जा रहा है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी वहस में यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा मौका पर किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है यदि वह भविष्य में किसी प्रकार से अकृषि कार्य करेगा तो वह पहले सक्षम प्राधिकारी से भूमि को संपरिवर्तन करवाने के पश्चात् ही करेगा। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:16:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner